

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा – 206 130 (उ०प्र०)
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah – 206 130 (U.P.)

पत्रांक - 3495 /UPUMS/Estt.-7/(1441-CD)/2023-24

दिनांक: 02 दिसम्बर, 2023

कार्यालय आदेश

उ०प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 110/2022/96/71-2099/753/2021 दिनांक 05 सितम्बर, 2023 के क्रम में उ०प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 शासनादेश सं० 71-4099/1051/2022-1/280291/2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा सृजित न्यू कैंडर संरचना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु सं० 11-21 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में न्यू कैंडर संरचना में सृजित डायटीशियन संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का पदस्थापन एवं संविलन निम्नानुसार किया जाता है:-

Sl. No.	Name of the Post/Scale	Sanctioned Post 1800 Beded	Mode	Qualification & Exp. As per SGPGIMS, Lko
1.	Chief Dietician Level -11 (67700-208700)	1	Promotion failing which by Deputation	100 % by promotion OR Transfer on Deputation. (The Departmental Candidate will be considered along with others who apply on Deputation basis). In case of selection of Departmental Candidate, it will be treated as promotion. <u>For promotion</u> Sr. Dietician with 5 years of regular service in the grade.
2.	Senior Dietician Level -10 (56100-177500)	3	Promotion	100% by Promotion Dietician with 5 years of regular services in the grade.
3.	Dietician Level-7 (44900-142400)	7	Direct	100% direct recruitment. M.Sc. (Food & Nutrition) from a recognized University/ Institution. Five years experience in the line preferably in a large teaching Hospital.
		11		

- डायटीशियन/असिस्टेन्ट डायटीशियन पद पर कार्यरत 03 कार्मिकों को प्रवेशित स्तर (Entry Level) डायटीशियन पद, लेवल-7 पर पदस्थापित/संविलन किया जाता है।
- डायटीशियन पद पर पदस्थापित/संविलन कार्मिकों को उनकी Length of Service के अनुसार वरिष्ठता के क्रम में सीनियर डायटीशियन पद, लेवल-10 पर पदोन्नति की जायेगी।

उक्त संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का संविलन एवं पदस्थापन कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12.09.2023 से प्रभावी माना जायेगा तथा पदोन्नति का लाभ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की दिनांक से अनुमन्य किया जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(प्र० (डा०) एस० पी० सिंह)
चिकित्सा अधीक्षक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- सम्बन्धित कार्मिक।
- वित्त अधिकारी।
- कुलसचिव।
- चिकित्सा अधीक्षक।
- संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल/फार्मसी/नर्सिंग)।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- प्रभारी, सी०ए०सी० विभाग को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
- वैयक्तिक सहायक, मा० कुलपति महोदय।
- निजी स्टाफ, प्रति-कुलपति।
- कार्यालय प्रति।

(प्र० (डा०) एस० पी० सिंह)
चिकित्सा अधीक्षक

C.P.
Nishank
dow